**33. एक अपायकर विनिर्माण करने हेतु नुकसानी के लिए तथा इसको रजिस्ट्रीकृत कर एक स्थायी व्यादेश के लिए वाद।**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

अबक ........ वादी

बनाम

कखग ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करात है -**

1. वादी का ................. कही गयी........... में स्थित कतिपय भूमि पर कब्जा है और इसमें इसके पश्चात् वर्णित कतिपय भूमि पर सदैव कब्जा था।
2. तारीख .... ................. से भी प्रतिवादी ने घृणोत्पादक एवं अस्वास्थयकर धुवां तथा अन्य वाष्प एवं हानिकारक पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिवादी द्वारा चालू रखी गयी कतिपय भट्टी सम्बन्धी कार्यों से दोषपूर्ण ढंग से निर्मित कराया जाता है जो सम्पूर्ण कथित भूमि पर एवं उसके ऊपर फैला हुआ है और जिसने वायु प्रदूषित कर दिया और जो भूमि की सतह पर बस गयी।
3. तद्द्वारा भूमि पर उगने वाले वादी के वृक्ष, झाड़ियां एवं फसलों का नुकसान किया गया और मूल्य के अवक्षयण किया गया और भूमि पर वादी के पशु एवं पशुधन अस्वस्थ हो गये और उनमें से अनेकों को विष दिया गया और उनकी मृत्यु हो गयी।
4. वादी पशु एवं भेड़ों से भूमि को चराने में असमर्थ था कारण कि वह अन्यथा कर सकता था, और उसके पशुओं, भेड़ों को हटाने तथा उससे स्टाक बनाने के लिए आबद्ध किया गया और उसे भूमि का इस प्रकार सुविधाजनक एवं स्वस्थ उपयोग एवं उपभोग करने से रोका गया है जो वह अन्यथा किया होता।
5. वादी को प्रतिवादी के सदोष कार्य के कारण... ...................... रुपये का नुकसान सहन करना पड़ा।
6. यह समीचीन है और यह सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है कि प्रतिवादी ने वादी के उसके पार्श्व की भूमि पर ऐसे हानिकारक, विनिर्माण से रोककर प्रतिवादी को एक स्थायी व्यादेश जारी करके अवरुद्ध कर दिया जाय।
7. यह कि वादी ने कतिपय औद्योगिक क्षेत्र के उसकी विनिर्माण करने वाली प्रक्रिया को हटाने का प्रतिवादी से अनुरोध करके तारीख..... ................... को प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गयी दिनांकित ............ प्रतिवादी को एक रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिया और नोटिस की प्राप्ति से एक महीने के अन्दर ............ ........... रुपये की एक नुकसानी का मांग किया।
8. प्रतिवादी देखें; तारीख ............................... को वादी द्वारा प्राप्त किये गये उत्तर को; अपने दायित्व का प्रत्याख्यान किया है और क्षेत्र में विनिर्माण को चालू रखने के अपने अधिकार का अभिकथन किया है।
9. वाद हेतुक तारीख.... .....................को उद्भूत हुआ जब प्रतिवादी ने अपना उपायकर विनिर्माण प्रारम्भ किया और वादी की भूमि का तारीख ...... को दूसरी बार यथा परोक्त नुकसान होना प्रारम्भ हो गया जब प्रतिवादी को नुकसानी का संदाय करने की तथा ऐसे सदोष कार्य को करने से स्वयं को अवरुद्ध करने की वादी पर नोटिस की तामील करायी गयी। और अन्ततः प्रतिवादी ने उस उत्तर के माध्यम से किसी नुकसानी या निर्बन्धन के अपने दायित्व का प्रत्याख्यान कर दिया जिसे वादी ने तारीख ...... ....................... को प्राप्त किया और इस न्यायालय के पास वाद का विचारण करने की अधिकारिता है।
10. इस वाद का मूल्यांकन नुकसानी की रकम .................... रुपये तथा वादी की भूमि पर संदाय किये गये भू-राजस्व के वार्षिक किराये का तीस गुना............... रुपये पर किया जाता है और नुकसानी के लिए दावाकृत रकम पर न्यायालय फीस के अनुसार संदाय किया जाता है और भूमि के पांचवें भाग न्यायालय शुल्क का संदाय व्यादेश के अनुतोष के लिए किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोष**

वादी प्रतिवादी से नुकसानी की रकम . ............रुपये के संदाय का दावा करता है और आगे यह कि प्रतिवादी को वादी की उसकी लगी हुई भूमि पर विषैली विनिर्माण करने से एक स्थायी व्यादेश के रूप में अवरुद्ध किया जाय।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी